डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

नाहरसिंह बनाम घसीड़ा वगै0

मुकदमा नंबर 131/2014 — दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ़ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अत: आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 750 रकबा 0.21, 751 रकबा 0.47, 770 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर स्थित है , वादी को 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 4 लगायत 7 संयुक्त को 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा रिकॉर्ड में वर्तमान में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन कर इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज की जावे।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.03.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—
12/3/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. नाहरसिंह पुत्र चन्दू (मृतक) जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/1. अंगूरी बेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/2. भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/3. कश्मीरा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/4. इन्द्रा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/5. सावित्री पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. घसीड़ा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बहादुरसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मोहनसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामवती बेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. अर्चना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सरिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. निशा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

12/3/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 131/2014
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00102
किस्म दावा 88.89,.188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 12.03.2025

1. नाहरसिंह पुत्र चन्दू (मृतक) जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/1. अंगूरी बेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. कश्मीरा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. इन्द्रा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/5. सावित्री पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. घसीड़ा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. बहादुरसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मोहनसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामवती बेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. अर्चना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सरिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. निशा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।
9. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित श्री रघुवीर [illegible] गुप्ता [illegible] (वादी की ओर से)
श्री महेन्द्र मीणा [illegible] (प्रतिवादी की ओर से)

निर्णय

दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

12/3/25

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में ऐसा कोई सख्त नही है कि वाद के लिए अयोग्य हो सभी पक्षकार वाद पत्र लडने योग्य है।

2. विवादित आराजी खसरा नंबर 750 रकबा 0.21, 751 रकबा 0.47, 770 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर स्थित है।

3. यह कि विवादित आराजी के हाल खसरा 750 रकबा 0.21, 751 रकबा 0.47, 770 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार साबिक खसरा नंबर क्रमशः 245, 248 से बने है। तथा साबिक खसरा नम्बर 245, 248 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 224, 225, 228 से बने हैं।

4. यह कि साबिक खसरा नंबर 224, 225 के खातेदार काश्तकार नकल जमाबंदी संवत 2020 के अनुसार मांगी वल्द चंदन कौम ब्राह्मण खातेदार काश्तकार थे। तथा खसरा नंबर 228 बलुबा वल्द श्यामलाल खातेदार काश्तकार थे। तथा इन खातेदारों ने उक्त आराजीयात को जरिए रजि0 विक्रयपत्र मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता खैमा व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता रघुवीर सिंह को विक्रय कर दिया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 60 से नकल जमाबंदी संवत 2028 में अंकन है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2028 में साबिक खसरा नंबर 224 व 225 व 228 से हाल खसरा नबर 245, 248 किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा पर खैमा व रघुवीर पिसरान बदले, नाहरसिंह वल्द चंदूराम जाति जाट की खातेदारी का अंकन है। तथा इसी प्रकार से मुझ वादी एवं खैमा तथा रघुवीर आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं चूंकि खैमा की मृत्यु हो चुकी है उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 घसीडा व राजेन्द्र का नाम अकन हो गया है। तथा रघुवीर की मृत्यु हो चुकी है उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का अंकन हो चुका है। तथा नकल जमाबंदी संवत [illegible] में [illegible] 1/3 हिस्से पर घसीडा व राजेन्द्र पिसरान खैमा तथा 1/3 हिस्से पर रघुवीर पुत्र बदले तथा 1/3 हिस्से पर मुझ वादी का नाम अंकन है। [illegible] इसके बाद संवत 2060 में सैटलमेंट द्वारा निर्मित जमाबंदी में गलती से विवादित आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

हाल खसरा नंबरान 750, 751, 770 कुल रकबा 0.77 नवीन बनाकर उस पर मुझ वादी की खातेदारी 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/4 पर गलत दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 4 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी विवादित आराजीयात पर 1/3 हिस्से पर अंकित होनी चाहिए परन्तु गलती से प्रतिवादी संख्या 1 की 1/4 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की 1/4 हिस्से पर गलत खातेदारी अंकित कर दी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 की 1/3 हिस्से पर अंकित होनी चाहिए थी उसके स्थान पर 1/4 हिस्से पर दर्ज कर दी है इस प्रकार से वर्तमान इन्द्राजात जो रिकॉर्ड में दर्ज किए हैं वह पूर्व की जमाबंदी अनुसार नहीं है इसलिए वर्तमान इन्द्राजात कानूनन गलत है एवं मौके के विपरीत है क्योंकि वादी वर्तमान में विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर ही काबिज चला आ रहा है। इसलिए वादी वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन कराकर वादी विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से पर दर्ज करा पाने का अधिकारी है। तथा इसी प्रकार की घोषणा करा पाने के अधिकारी हैं। एवं इसी प्रकार वाद को डिक्री किए जाने हेतु वादी द्वारा प्रार्थना की गई।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री महेन्द्र मीणा एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी विवादित आराजी पर दर्ज वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन कराकर अपने नाम 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। [illegible] जिम्मेवादी
2. आया विवादित आराजी पर वादी को [illegible] हिस्से [illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत [illegible] को संयुक्त को 1/3 [illegible] पर तथा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

श्रीमानजी,

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 2 व 3 को 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

– जिम्मेवादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

– जिम्मेवादीगण

4. आया रजि0 विक्रयपत्र के अभाव में दावा वादी काबिल खारिजी के है।

– जिम्मेप्रतिवादीगण

5. आया दावा वादी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में काबिल खारिजी के है

– जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 वाके ग्राम बढा प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके बढा प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2020723 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत 2039 वाके बढा प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2028 वाके बढा प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी संवत 2039742 वाके बढा प्रदर्श 7, असल वयनामा दिनांक 14.07.68 प्रदर्श 8 पेश किए गए। तथा मौखिक बयान के रूप में भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा पेश किए गए जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए। केवल मौखिक बयान के रूप में घसीडा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा पेश किए गए जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया

1. आया वादी विवादित आराज़ी पर दर्ज वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन कराकर अपने नाम 1/3 हिस्से का खातेदा[illegible] घोषित कराने का अधिकारी है।– उक्त तनकीह को सिद्ध करने का [illegible] वादी का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श 1 पेश किए गए जिसमें विवादित आराजी खसरा नबर 750, 75[illegible]70 किता 3 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

77 है0 पर घसीडा पुत्र खैमा हिस्सा 1/4, बहादुर सिंह व मोहनसिंह पिसरान रघुवीर सिंह हिस्सा बराबर 1/4, रामवती बेवा राजेन्द्र, अर्चना, सरिता, निशा पुत्री राजेन्द्र हिस्सा बराबर 1/4, नाहरसिंह पुत्र चंदू हिस्सा 1/4 कौम जाट साकिन देह खातेदारी का अंकन है यानि की वादी नाहरसिंह की खातेदारी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजी के मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 245 व 248 से बने हैं। तथा उक्त साबिक खसरा नंबरान 245, 248 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के अनुसार साबिक नंबर 224, 225, 228 से बने हैं। जो प्रदर्श 5 व 6 से साबित है। साबिक खसरा नंबर 224 व 225 के खातेदार जमाबंदी संवत 2020 के अनुसार मांगी वल्द चंदू कौम ब्राह्मण साकिन देह का अंकन है जो प्रदर्श 4 से साबित है तथा खसरा नंबर 228 बलुबा वल्द श्यामलाल खातेदार काश्तकार थे जो प्रदर्श 5 से साबित है। उक्त खातेदारी मांगी वल्द चंदन कौम ब्राह्मण ने जरिए रजि. वयनामा वादी नाहरसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता खैमा तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता रघुवीर को किया गया जो प्रदर्श 8 से साबित होता है। उक्त विक्रयपत्र का नामान्तरकरण संख्या 60 से नकल जमाबंदी संवत 2028 में खैमा व रघुवीर पिसरान बदले, नाहरसिंह वल्द चंदूराम साकिन देह का अंकन है जो प्रदर्श 6 से साबित है। नकल जमाबंदी संवत 2028 के खसरा नंबर 224, 225, 228 के हाल खसरा नंबर 245, 246 किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा पर खैमा व रघुवीर पिसरान बदले , नाहरसिंह वल्द चंदूराम जाति जाट की खातेदारी का अंकन है जो प्रदर्श 6 से साबित है इस प्रकार उक्त आराजी वादी नाहरसिंह व खैमा व रघुवीर की आराजी रही हैं। खैमा की मृत्यु पश्चात् आराजी प्रतिवादी संख्या 1 घसीडा व राजेन्द्र के नाम दर्ज आई तथा रघुवीर के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहादुर सिंह , मोहन के नाम [illegible] एवं [illegible]ल जमाबंदी संवत 2039–42 में भी 1/3 हिस्से पर घसीडा, राजे[illegible]सरान खैमा व 1/3 हिस्से पर रघुवीर पुत्र [illegible] तथा नाहरसिंह पुत्र चंदू कौम जाट साकिन देह खातेदारी का अंकन हो रहा है जो प्रदर्श 7 से साबित होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

है। संवत 2060 में निर्मित जमाबंदी में विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 750, 751, 770 कुल रकबा 0.77 पर जो प्रदर्श 1 पर वादी नाहरसिंह की खातेदारी 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 दर्ज किया गया है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की संयुक्त खोदारी 1/3 हिस्सा अंकित होना था परन्तु गलती से प्रतिवादी संख्या 1 की 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 की 1/4 हिस्सा पर खातेदारी गलत अंकित की गई है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की 1/3 की खातेदारी अंकित होनी चाहिए थी बल्कि 1/4 हिस्से पर दर्ज की गई है इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पूर्व जमाबंदी अनुसार नहीं है तथा वर्तमान इन्द्राजात गलत रूप से चले आ रहे हैं जो काबिल कलमजन के हैं। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी पर वादी को 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 7 को संयुक्त को 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार वादी नाहरसिंह 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 7 को संयुक्त 1/3 हिस्से पर तथा 2 व 3 को 1/3 हिस्से पर खातेदार घोषित तनकी संख्या 1 के निर्णयानुसार कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। तनकी संख्या 1 व 2 के नि[illegible] की अपनी हिस्से की आराजी तक स्थायी निषे[illegible] अधिकारी है।

4. आया रजि0 विक्रयपत्र के [illegible] खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी [illegible] का था। वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत असल वयनामा पेश किया गया । उक्त वयनामा से वादी व प्रतिवादीगण के संख्या 1 के पिता खैमा व रघुवीर को विक्रय किया गया । जो प्रदर्श 8 से साबित है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ व वादी के हक में तय की जाती है।

5. आया दावा वादी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णयानुसार बखूबी साबित है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ व वादी के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र सिद्ध होता है अतः वादी मुताबिक वादपत्र प्रार्थना अनुसार डिक्री किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 750 रकबा 0.21, 751 रकबा 0.47, 770 रकबा 0.09 किता 3 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर स्थित है , वादी को 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा 4 लगायत 7 संयुक्त को 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा रिकॉर्ड में वर्तमान में हो रहे इन्द्राजात को कलमजन कर इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/3/25
[गंगा]धर मीना (R.A.S.)
[उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक] कलेक्टर नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner